संख्या-829/18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0
लखनऊ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 4 लखनऊः दिनांक 06 नवंबर, 2025

विषयः- वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्यानिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने वाली निर्यातक इकाईयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पूर्व की भांति वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाली निर्यातक इकाईयों के साथ-साथ ऐसी निर्यातक इकाईयों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनके द्वारा प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्यानिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तत्क्रम में श्री राज्यपाल प्रदेश के निर्यातकों हेतु नवीन निर्यात प्रोत्साहन 2025-30 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन वायुमान भाड़ा युक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की सहर्ज स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित निर्यात नीति के प्रस्तर-8.2 में किये गये प्रावधानों के क्रम में निर्यातक इकाई द्वारा देश में स्थित किसी भी एयर कार्गो कॉम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात किये जाने पर योजनान्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा, यदि निर्यातित उत्पादों का स्टेट ऑफ ओरिजिन उत्तर प्रदेश है।

2. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदेश के ऐसे समस्त निर्यातकों को प्रदान की जायेगी, जिनके द्वारा प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्यानिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है।

3. उत्तर प्रदेश से शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का वायुमार्ग से किये गये निर्यात के माल के भाड़े (जिसमें कार्गो हैण्डलिंग से सम्बन्धित अन्य व्यय भी सम्मिलित होंगे) पर व्यय धनराशि की 30 प्रतिशत अथवा 150/-प्रति कि0ग्रा0 की दर से (जो भी कम हो) आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख (रु0 दस लाख मात्र) तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

4. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु निर्यातक इकाईयों को योजना के पोर्टल पर दावों को ऑनलाईन फाईल किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

4.1 निर्यातक इकाई द्वारा निर्यात उत्पाद वायु मार्ग से विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरान्त, भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अन्दर अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन फाईल किया जायेगा। उक्त अवधि के बाद फाइल किए गए दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4.2 निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड की जानी होंगी। आवेदन की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों/अपूर्णताओं का निराकरण/संशोधन निर्यातक इकाई द्वारा किया जा सकेगा।

4.3 निर्यातक इकाई द्वारा पोर्टल पर फाईल किये गये दावे को सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा पोर्टल पर उनके स्तर पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 21 दिनों के अन्दर परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे। ऐसे दावे जो योजनान्तर्गत निर्धारित अभिलेखों के अभाव में अपूर्ण पाये जायेंगे, की अपूर्णता का पूरा विवरण ऑनलाईन अंकित करते हुए, सम्बन्धित निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिया जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा रिवर्ट किये गये दावों को सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर पुनः ऑनलाईन फाईल किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में वांछित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा ऐसे दावे भी पुनः परीक्षण कर अधिकतम 21 दिवसों में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

4.4 उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को दावा अग्रसारित न किये जाने अथवा दावे में अपूर्णता की स्थिति में दावा इकाई को रिवर्ट (REVERT) न किये जाने पर दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4.5 निर्यातक इकाईयों द्वारा ऑनलाईन फाईल किये गये ऐसे दावे, जो योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, को उपायुक्त उद्योग द्वारा निरस्तीकरण के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निरस्त किये जाने की संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

5. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाईन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य
5	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

6. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अन्तरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

7. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

8. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

9. यह सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्माता/वाणिज्यिक (Manufacturing/Merchant) निर्यातक इकाईयों को उपलब्ध होगी जो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य संपादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी।

10. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

11. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

12. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-829(1)/18-4-2020/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया।
7. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
9. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
11. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in